प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सामान्य अनुबन्ध
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
किराया किश्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक.....माह..... दो हजार.....उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है ओर जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतद्पश्चात स्वामी कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशित भी या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशित भी है माध्यम से होता है।

एक पक्ष और ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी–..... जिसे एतत्पश्चात किराया–किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की भूखण्ड/भवन आवंटन योजना के अधीन किराया–किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त क्रय योजना के अधीन एक भूखण्ड/भवन का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तो पर किराया– किश्त क्रेता को भूखण्ड/भवन आवंटित करने की सहमति दे दी है ।

चूँकि किराया–किश्त क्रेता ने रू .....**.00** (रू0 ..... मात्र) जिसका आधा रू0 ---------- (रू ..... मात्र) का भुगतान प्रथम एक मुश्त धनराशि एवं प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा बयाना धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है ।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतत्द्वारा किराया–किश्त क्रेता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया–किश्त भी एतदद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसविदा करता है और सहमत है अर्थात ।

1. किराया–किश्त क्रेता की भूखण्ड/भवन/फ्लैट के रूप मे सम्पत्ति का, जिसकी संख्या ----------- है और जो ग्राम कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ में स्थित है, और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें आगें दी गई अनुसूची–एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, का कब्जा दिया जायेगा।

क्रमशः 2 पर

2. किराया–किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तो के अधीन 60 माह की एक नियत अविध तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष ..... के माह ..... मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष ..... के माह ..... मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगीः–

क) किराया– किश्त–क्रेता रू0 ---------- केवल (रूपया ..... मात्र) की मासिक किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक को स्वामी के कार्यालय में भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया–किश्त क्रेता द्वारा पहले ही कर दिया गया हो और जिसे माह ..... की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष ..... के ..... माह के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया–किश्त क्रय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान हो जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के फ्लैट संख्या **.....** का कुल मूल्य रू0 **.....** (रू0 ..... मात्र) जिसका आधा रू0 **--** **----------** (रू0 ..... मात्र) होता है। आवंटी ने रू0 ..... का भुगतान किया है। शेष धनराशि रू0 ---------- की 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित 60 मासिक किश्तें बनायी गयी है। किश्तों की धनराशि रू0 ---------- है।

ख) किराया–किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू–स्वामी या किरायेदार को एतद्द्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध जानकारियों को भुगतान करेगा। किराया–क्रेता–भू–स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर ब्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय–समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया–किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी को ऐसी देय धनराशि को भू–राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी ।

ग) किराया– किश्त क्रता उक्त अवधि के दौरान उक्त सम्पत्ति के साथ–साथ जल सम्भरण, जल निस्तारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई सफाई भी। स्वामी के या ऐसे ब्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, सम्मानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर बनवायेगा और उसे समुचि रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा ।

घ) किराया– किश्त क्रेता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति के भीतर किसी भी प्रकार का ब्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासिक उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य सया ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसकी कालोनी के अन्य

क्रमशः 3 पर

भूखण्डों/भवनों के अध्यासियों की या पडोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गयी है ।

ड) किराया–किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरा सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किन्हीं ब्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक हैं तो स्वामी किराया–किश्त क्रेता को ऐसी मरम्मत कराने का निर्देश दे सकता है। परन्तु उसके युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा न करने पर स्वामी ऐसी मरम्मत किराया किश्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया किश्त क्रेता एतद्द्वारा स्वामी कोऐसी धनराशि का भुगतान करके जिस स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित नियम करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है ।

च) किराया किश्त क्रता स्वामी या स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ब्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में या उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप लाइन सीवर लाइन या कोई विदुयूत आपूर्ति लाइन या उसमें सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोडने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

छ) किराया किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाह जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

ज) किराया–किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन कवेल इस किरायेदारी की देय़ अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये निबन्धनों और शर्तो से अवरूद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा ब्यक्ति हो जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

क्रमशः 4 पर

झ) किराया–किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धों का पालन करेगा ।

ञ) किराया–किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरह रहेगा जिससे आपत्तियां उठें या दावे प्रस्तुत किये जाये ।

ट) किराया किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले सभी उत्तदायितयों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेगें और जिसके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्दवारा सहमति है ।

ठ) उक्त सम्पत्ति में किराया–किश्त क्रेता के हित के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया किश्त क्रेता एतद्दवारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भब्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति का वचन देता है ।

ड) किराया किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहंचने व उसके नष्ट होने की दशा में तद्द्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायितव से मुक्त करना है। परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया किश्त क्रेता का यह कर्तब्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भवन भूखण्ड उपयोग के कारण उचित टूट फूट को छोड कर , उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया–किश्त क्रेता का यह कतर्मब्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत करावे। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

क्रमशः 5 पर

ण) किराया किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित हे पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगके लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी। वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया किश्त क्रेतातदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में ब्यतिक्रम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा । स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भराजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जिसका विधि समर्थ करे वसूल किया जा सकेगा। किराया किश्त क्रो काजल सम्पूर्ति कनेक्शन कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित चर्तो प्रक्रिया से पुनः समायोजन किया जा सकेगा ।

त) यदि किराया किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भाव या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहंचे या उसका क्षय हो य गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो तो किराया श्ति क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने सया गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण को तत्तसम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा ।

थ) यदि किराया किश्त क्रेता किराया किश्त क्रय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्दवारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ–साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया–किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा ।

ढ) किराया किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसा नाम निर्देशित कर सकता है जिसे वह उक्त सम्पत्ति में जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामिव में उसकी अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा करे देगा स्वामी –किराया किश्त क्रेता की मृत्यु काप्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और साव्रजनिक निकायों के प्रति किराया किश्त क्रेता के समस्त विद्यामान दायित्वों और अध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके सीान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है। परन्तु किराया– किश्त क्रेता द्वाराऐसा नाम निद्रेशन न किये जाने पर किराया किश्त क्रेता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा

क्रमशः 6 पर

द) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो सम्बद्ध पक्षों की सुवनाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा, किराया किश्त क्रेता द्वारा भवन/भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारबान तत्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराय–किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को सम्भरण हो जायेगा।

ध) स्वामी एतद्द्वारा सहमत हो कि किराया किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तो को पूरा करके और उसका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या वाधा के सिवाय उक्त समपत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा। इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्द्वारा किराया किश्त क्रय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो भूमि के प्रति कर में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतद्पश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई बृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

3. स्वामी एतद्द्वारा किराया किश्त क्रेता की किराया किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किराया किश्त क्रेता नहीं रहेंगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख का उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

क्रमशः 7 पर

4. हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।

5. यदि उक्त विनियमों और उसके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगे और किराया किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनूसूची–1

ग्राम कनकहा, मोहनलालगंज, लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत फिनिश्ड फ्लैट जिसकी संख्या **.....** एवं फ्लैट का क्षेत्रफल ..... व0मी0 है। फ्लैट का कुल मूल्य रू0 **----------** है जिसमें भूमि का मूल्य समायोजित है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित हैः

उत्तर– : .....
दक्षिण– : .....
पूर्व– : .....
पश्चिम– : .....

नोटः– आवंटित फ्लैट्स सं0 **----------** का जो निर्गत पत्र संख्या–---------- दिनांक ---------- छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग–7, आदेश संख्या–13/संख्या–क0नि0 7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के शासनादेश एवं कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 के शासनादेश सं0 क नि0 **5-3056/11 –2001 –312 (381)/99** दिनांक 4.08.2001 एवं शासनादेश सं0 772/स्टाम्प–लिपिक–2015 दिनांक 15–12–2015 के के अनुसार दुर्बल आय वर्ग भवन होने के कारण रू0 **500/-** के स्टैम्प पर किराया अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है तथा कब्जा दिया जाना प्रदत्त है।

क्रमशः 8 पर

इस किराया किश्त क्रय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से .....सम्पत्ति प्रबन्धक ने तथा आवंटी ..... फ्लैट संख्या–**.....** ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है।

अनुसूची–2

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1– हस्ताक्षर :
2– नाम :
3– पताः

किराया किश्त क्रेता का
सुपाठ्य हस्ताक्षर और पता

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1– हस्ताक्षर :
2– नाम :
3– पताः

प्रथम साक्षी

1– हस्ताक्षर :
2– नाम :
3– पता :

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

सम्पत्ति प्रबन्धक
(कृते आवास आयुक्त)

द्वितीय साक्षी

1– हस्ताक्षर :
2– नाम :
3– पता :

क्रमशः 9 पर

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

1. यह उपबन्ध किराया किश्त क्रेता पर लागू होंगे और जिसके साथ– साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक–पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. किराया किश्त क्रेता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन कीक अपशिष्ट सामग्री कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं की इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेंगा।
3. ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखरायें बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
4. स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा–करकट रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रूकने न पावें।
5. किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया किश्त क्रेता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारें या रास्तें में नहीं रखा जायेगा।
6. भवन के साझे के भाग के खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
7. किराया किश्त क्रेता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखेगा।
8. फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेंर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।
9. भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
10. प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति की कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
11. प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठा को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।

क्रमशः 10 पर

12. सम्पत्ति का दुरूपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सींढ़ियॉ , चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा न करने की अनुमति दी जायेगी।

13. परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

14. उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा ओर परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया–किश्त क्रेता के विरूद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

15. परिषद/शासनादेश के क्रम मे मूल्य मे वृद्धि हो सकती है।

16. उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर जारी आदेश परिवर्तित /लागू होंगे।

17. आवंटी (पति/पत्नी) के पास उक्त के अतिरिक्त कोई भवन/भूखण्ड लखनऊ शहर में नही होना चाहिए। जॉच कार्यवाही/संज्ञान में आने पर भवन/भूखण्ड का आवंटन/कब्जा निरस्त करते हुये जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी पृथक से वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

18. आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर निदेशक, सूडा द्वारा किये गये सत्यापन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की सूचना मिथ्या पाये जाने पर आपका आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी, साथ ही सुसंगत विधिक धाराओं के अनुसार आपके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

19. आवंटी व उसके परिजन के नाम भारत में कंही भी कोई पक्का मकान नही है, इसका प्रमाण पत्र विलेख निष्पादन के समय आवंटी को स्वयं उपस्थित होकर देना होगा।

20. आवंटी आवंटित फ्लैट/भवन को किसी भी पट्टा हस्तानान्तरण या किराये पर नही देगा तथा विक्रीत नही किया जायेगा।

21. फ्लैट का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

हस्ताक्षर
नामः– .....
निवासी– .....

(.....)
सम्पत्ति प्रबन्धक